

# हरिजनसेवक

दो आना

(स्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १५

सम्पादक : किशोरलाल मशरुवाला

सह-सम्पादक : मगनभायी देसायी

अंक २८

मुद्रक और प्रकाशक  
जीवणजी डाखामाजी देसायी  
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० ८ सितम्बर, १९५१

वार्षिक मूल्य देशमें २० ६  
विदेशमें २० ८; शि० १४

## शुद्ध चुनावकी रीत

ता० १५-८-५१ : परंधाममें जयप्रकाशजी

कवी बरसोंके बाद भाभी जयप्रकाशजी ता० १५ से १७ अगस्त तक वर्षामें रहे थे। वर्षाकी संस्थाओंने उनका योग्य सत्कार किया। पवनारमें पू० विनोबाके साथ करीब दो घंटे तक उनकी बातचीत हुआ। अन्न, वस्त्र, भूमि, पंचवर्षीय योजना — सभी विषयों पर काफी अच्छी चर्चा हुआ।

जयप्रकाशजीने बहुत बारीकीसे परंधाममें चलनेवाले स्वावलंबी साम्ययोगका निरीक्षण किया और उसे समझनेकी कोशिश की।

शामको प्रार्थनामें भी शरीक हुआ। आजकल जब बारिश नहीं होती, तो प्रार्थना रहट पर ही चलती है। यानी प्रार्थनाके साथ-साथ कुर्से परकरा रहट चलाया जाता है। रहटके आठ पंख हैं। हरअंक पर तीन-तीन खड़े रह सकते हैं। विनोबाजी और जयप्रकाशजी साथ-साथ अंक ही पंख पर खड़े रहे। अंधर प्रार्थना चल रही थी — अंधर रहट चल रहा था। स्नेह-नीरसे हृदयकी टंकियां भरी जा रही थीं। जन-मानसकी बेलें सींची जा रही थीं। बगीचा हराभरा हो रहा था।

प्रार्थनाके बाद विनोबाजीको सहज प्रेरणा हुआ। उन्होंने कहा : "खुशीकी बात है कि आज भाभी जयप्रकाशजी हमारे बीच हैं। हमारा अंक विशाल कुटुंब है और पांच पांडवोंकी तरह हम रहते हैं। हिन्दुस्तान अंक बड़ा देश है। उसके बड़े मसले हैं। उसकी चिन्ता हम सब भाभी-भाभी मिल कर करते हैं। लेकिन क्योंकि मसलें बड़े हैं, उनको हल करनेमें कुछ मतभेद भी हम लोगोंमें रहते हैं।"

"अंधर पंडित जवाहरलालजी हैं, जिन पर सारे देशकी जिम्मेदारी है। आज देशकी परिस्थिति कम गंभीर नहीं है। वे सबके सहकारकी आशा रखते हैं। लेकिन उनके अपने कुछ विचार हैं और उन विचारोंकी मर्यादामें वे काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे भाभी कृपलानीजी हैं। उन्हें देशमें बुद्धिकी आवश्यकता प्रतीत होती है। वे भी अपने ढंगसे काम किये जा रहे हैं। वैसे ही भाभी जयप्रकाशजी हैं। उनके भी अपने कुछ विचार हैं। वे भी देशकी सेवामें लगे हुए हैं। अपने तरीकेसे गरीबोंका दुःख दूर करना चाहते हैं। अंधर श्री किशोरलालभाभी जैसे भी हैं, जो सर्वोदय विचार रखते हैं। वे भी अपने तरीकेसे देशका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस तरह सब लोग अपने-अपने तरीकेसे देशसेवा ही करना चाहते हैं। सबकी बुद्धि आज तो देशसेवामें ही लगी हुयी है। परमेश्वर सबको देशसेवाके लिये प्रेरित कर रहा है।"

"लेकिन मैं जब कभी अकेलेमें सोचता हूँ, तो विचार आता है कि हिन्दुस्तानके गरीब लोगोंकी सेवामें लगे हुए हम जो लोक-

सेवक हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं हैं, और न हमारे विचारोंमें ज्यादा फर्क है। तो होना यह चाहिये कि जिन बातोंके बारेमें हम अकमत हैं, वे बातें हम समाजके सामने रखें; और जिन बातोंके बारेमें कुछ मतभेद हैं, वे बातें दिलमें रखें। जिसी दृष्टिसे मैं अपने विचार लोगोंके सामने रखा करता हूँ। अब आगे चुनाव आनेवाले हैं। मान लीजिये कि जयप्रकाश और मैं, हम दोनों भी चुनावमें खड़े हैं। तो होना यह चाहिये कि दोनों अंक रहट पर काम करते हैं, अंक साथ खाना खाते हैं, लेकिन चुनावमें अलग-अलग खड़े होते हैं। जनता जिन्हें चुनना चाहे, चुन लेती है। और चुनाव सारा शांतिसे और शुद्ध भावसे होता है। शंकराचार्यने कहा है कि यह दुनिया सब खेल है। तो चुनाव भी अंक खेल है, अंसा समझ कर हम सबको उसमें खिलाड़ीकी तरह हिस्सा लेना चाहिये, और परस्पर प्रेम कायम रखना चाहिये।

"असलिये गांववालोंको मैं यही समझाता हूँ कि यद्यपि गांवोंमें चुनाव आयंगे, फिर भी आपको अपने गांवमें अकता कायम रखनी चाहिये। गांववालोंमें भेद नहीं निर्माण होने चाहिये। मुझे इसकी फिक्र नहीं कि चुनावमें कौन चुने जाते हैं। यह तो नहीं होनेवाला कि हमारे देशके लोग अंसे लोगोंको चुनेंगे, जो हमारे विचारोंके शत्रु हैं। लेकिन चुनावके निमित्त अगर गांव-गांवमें झगड़े पैदा हुये, तो चाहे अच्छे मनुष्य चुन आये तो भी हमने कमाया कम और गंवाया बहुत ज्यादा अंसा होगा। अंसा नहीं होने देना चाहिये। हम लोगोंके बीच जो अन्दरूनी प्रेमका धागा है, उसे टूटने नहीं देना चाहिये।

"अस सब दृष्टिसे जब मैं सोचता हूँ कि भगवान मुझसे क्या काम लेना चाहता है, तो मुझे लगता है कि शायद वह मुझसे स्नेहनका काम कराना चाहता है। यंत्रमें जहाँ-जहाँ घर्षण होता है, वहाँ स्नेहनकी आवश्यकता तो होती ही है। मुझे लगता है कि भगवानने अस कामके लिये शायद मुझे योग्यता भी दी है।

"मैंने ये दो शब्द असलिये कहे कि हममें विचारभेद होते हुये भी — मैं और जयप्रकाशजी — हम दोनों आज अंक साथ रहट चला रहे हैं। यह अंसा दृश्य है, जो हम कभी भूल नहीं सकते।"

वा० पू०

हमारा नया प्रकाशन

गांधी और साम्यवाद

[श्री विनोबाकी भूमिका सहित]

लेखक : किशोरलाल मशरुवाला

कीमत १-४-०

उपकल्प ०-४-०

नवजीवन कार्यालय अहमदाबाद-९

## शुद्ध व्यवहार आन्दोलन

सुरत जिलेके अेक भाजीका पत्र आया है, जिसमें अुन्होंने रेलवे तथा अन्य सरकारी विभागोंके भ्रष्टाचारके कभी दाखले दिये हैं। अुसका कुछ अंश मेरे शब्दोंमें नीचे दिया जाता है:

“जिस वर्ष अिधर आमकी फसल बहुत हुअी। अुसका माल बहुत बड़ी तादादमें अहमदाबाद और बम्बयीकी ओर कुछ समय तक पैसेंजर गाड़ियोंसे जाता रहा। पर अितना माल चढ़ानेमें गाड़ियां लेट होतीं। जिसलिये रेलवे अधिकारियोंने पैसेंजर गाड़ियोंमें आमकी पार्सलें लेना मना कर दिया। मालगाड़ीसे माल भेजा जाय, तो देर होती है और मालके दाम भी कम आते हैं। मनाही होते हुअे भी कोअी रोज अैसा नहीं जाता था, जब कि पैसेंजर गाड़ियोंसे माल जाना बन्द रहा हो। अुन ३-४ स्टेशनोंसे ही रोजाना करीब ५०० टोकैरी माल हरअेक पैसेंजर गाड़ीसे जाता रहा। जांचवाले अिसपेक्टर, स्टेशन मास्टर, गाड़ आदि सबके सामने ही यह चोरी होती रही। हरअेक टोकैरी पीछे चार आनेसे आठ आने तक रिश्वत दी जाती थी। माल ले जानेवालेको न अपने लिये गाड़ीका टिकट और न मालके लिये बिल्टी ही करानी पड़ती थी। गाड़ियां लेट तो पहलेकी तरह होती ही रहीं। जब मनें यह सिलसिला देखा, तो अुपरके अधिकारियोंको लिखा कि मैं अैसा कदम अुठा सकता हूं, जिससे यह बन्द हो सके। पर अुसमें गाड़ी रुककर लेट होगी और मुसाफिरोको तकलीफ होगी। जिसलिये अगर दो दिनोंमें यह बन्द नहीं हुआ, तो मैं अपनी कार्यवाही करूंगा। तुरन्त ही पुलिस पार्टी, वॉच मेन, टिकट जांचनेवाले आदिकी अेक टोली अिस काममें लगी। पहले ही रोज बगैर रसीदकी ८०० टोकैरियां पकड़ी गयीं। बादमें भी कार्यवाही चालू रही। यह भ्रष्टाचार बिलकुल बन्द तो नहीं हुआ, पर बहुत कुछ कम हो गया। तथापि अब तक जो भ्रष्टाचार और चोरी करते थे, अुनका कुछ बिगड़ा हो या अुन पर मुकदमा हुआ हो या अुनको सजा हुअी हो, अैसा नहीं दीखता। दूसरे भ्रष्टाचारके मामलोंमें भी अधिकारियोंसे लिखा-पढी करता रहता हूं। कभी-कभी अुनसे कुछ चिकने-चुपड़े जवाब भी मिल जाते हैं। पर सुधार नाममात्रका ही हो पाता है। मैं अपना प्रयत्न चालू तो रखूंगा ही।”

अैसे भ्रष्टाचारके मामले रेलोंमें तथा अन्य सरकारी विभागोंमें सदा चलते रहते हैं। बहुत दफा तो वे छिपाकर भी नहीं किये जाते। आम लोगोंके सामने होते हैं। पर हममें अैसी जड़ता छापी है कि पाप आंखोंके सामने होते देखकर भी अुसका प्रतिकार करनेका प्रयत्न हम नहीं करते। यह नहीं कि केवल अपढ़ और अज्ञानी लोगोंमें ही यह बात है। खासे समझदार लोग भी आंख मींच लेते हैं, और शायद यह सोचते होंगे कि अपना कामकाज छोड़कर हम दूसरोंकी झंझटमें क्यों पड़ें? यह बात तो सही है कि विरोध करनेके प्रयत्नमें कुछ समय देना पड़ता है, तकलीफ अुठानी पड़ती है और शायद कुछ त्याग भी करना पड़ता है। पर अैसा ही ‘सयानापन’ अगर सब लोग धारण कर लें, तो यह भ्रष्टाचार कम कैसे होगा? अुपर लिखे भाजीकी तरह हरअेकको भ्रष्टाचारका प्रतिकार करनेके लिये जरूर भरसक प्रयत्न करना चाहिये।

ज्यों-ज्यों मैं अिस विषयमें ज्यादा सोचता हूं, कुछ अैसा महसूस करने लगा हूं कि अिस कामके लिये अेक अैसा अखबार हो जो अैसी घटनाओंका नाम, गांव, ठांव-ठिकाने सहित प्रकाशित करे, ताकि दुराचार सार्वजनिक अुजालेमें आवे, अुसे दुरुस्त करनेकी ओर अधिकारियोंका ध्यान खींचा जाय और कुछ कारगर कदम अुठानेके लिये अधिकारी मजबूर भी किये जायं। अैसा अखबार

चलानेमें जोखिम तो है ही, पर सत्यकी अुपासना ठीक रही तो तकलीफ भोगकर भी आखिर अुसका परिणाम अच्छा ही आवेगा। प्रचलित अखबारोंका भी यह कर्तव्य तो है ही कि वे भी अिस काममें मदद दें। हम भी अुनसे मदद लें।

सेवाग्राम, २१-८-५१

श्रीकृष्णदास जाजू

## हिन्दी बनाम प्रादेशिक भाषायें

[बम्बयी सरकारने अुच्च शिक्षाके माध्यमके रूपमें हिन्दीका अुपयोग करनेके सम्बन्धमें जो विन मांगी सलाह दी थी, अुसके बारेमें ‘हरिजनसेवक’ के ता० १८-८-५१ के अंकमें मनें पाठकोंका ध्यान खींचा था। सरकार अैसा करनेके लिये क्यों प्रेरित हुअी, यह जाननेसे अिस विषय पर ज्यादा प्रकाश पड़ सकता है। राज्यमें भाषाके आधार पर युनिवर्सिटियां कायम करके माध्यमका निर्णय करनेका काम सम्बन्धित युनिवर्सिटियों पर छोड़नेके बाद अैसी लोकशाहीके विरुद्ध सूचना अुनके सामने रखना क्या अुन्हें परेशानीमें डालने जैसा नहीं है? “अिसे सब कोअी स्वीकार करते हैं कि जब तक युनिवर्सिटीकी शिक्षा विदेशी भाषामें दी जायगी, तब तक आम जनताकी शिक्षाका सामान्य स्तर कभी अुंचा नहीं अुठाय जा सकता।” और अिस मतलबके लिये अपनी मातृभाषाको छोड़कर दूसरी सारी भाषायें कम-ज्यादा मात्रामें विदेशी या पराअी भाषायें ही हैं। हिन्दी और गुजरातीकी तरह अुनका आपसमें सम्बन्ध हो सकता है। लेकिन यह अितना ही बताता है कि अेक गुजराती अंग्रेजीके मुकाबले हिन्दी बहुत अच्छी तरह सीख सकता है। लेकिन अितने परसे यह फलित नहीं होता कि हिन्दीको माध्यम बनाना चाहिये। लेकिन सामाजिक, शक्षणिक और सांस्कृतिक दृष्टिसे देखने पर हम अिसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि राष्ट्रभाषा नहीं, बल्कि प्रादेशिक भाषा ही सारे शिक्षणका माध्यम होनी चाहिये। भारतीय युनिवर्सिटियोंके वाअिस-चान्सलरोंकी बनी ताराचन्द-कमेटीने अिस बातको स्वीकार किया है, जब अुसने १९४७-४८ में यह जाहिर किया था कि प्रादेशिक भाषायें अुच्च शिक्षणका माध्यम होनी चाहियें और हिन्दीका शिक्षण कालेजोंमें अनिवार्य होना चाहिये। और बादमें राधाकृष्णन्-कमिशनने अपनी रिपोर्टमें अिस प्रश्न पर पूर्णरूपसे चर्चा की थी। अुस महत्त्वपूर्ण रिपोर्टके प्रस्तुत भाग यहां अुद्धृत किये जाते हैं।

१६-८-५१

— म० देसाजी ]

भारतीय संघकी राजभाषा (हिन्दी) पसंद कर लेनेसे अुच्च शिक्षाका सवाल हल नहीं हो जाता। राजभाषाकी समस्या हल होते ही दूसरी नयी कठिन समस्यायें खड़ी होती हैं। भारतकी राजभाषा हिन्दी तय हो गयी, लेकिन संघके राजकाजमें भाग लेनेवाले अुन लोगों पर अिसका क्या असर होगा, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है? ... क्या अिससे अुन लोगोंको, जिनकी मातृभाषा हिन्दी है, अुनुचित लाभ मिलेगा या राज्यके कांरोबारमें जरूरतसे ज्यादा प्रभुत्व प्राप्त होगा? क्या अिससे केन्द्रीय सरकारको प्रादेशिक या भाषा संबंधी बंधनोंसे दूर भारतके बुद्धिशाली वर्गकी कीमती सेवाओंसे वंचित रहना पड़ेगा?

दूसरी प्रश्नमाला संघभाषा और प्रादेशिक भाषाओंके सम्बन्धके बारेमें है। प्रांतीय सरकारों, प्रांतीय धारासभाओं, प्रांतीय हाअीकोर्टों और केन्द्र तथा प्रान्तोंके बीचके व्यवहारकी भाषा क्या होगी? प्रदेशों और प्रांतोंमें अुच्च शिक्षाका माध्यम क्या होगा? प्रांतीय और केन्द्रीय नौकरियोंसे संबंध रखनेवाली परीक्षायें कौनसी भाषामें ली जायगी? अगर अुच्च अध्ययन, विज्ञान और शिल्प-विज्ञानकी केन्द्रीय संस्थाओंकी भाषा हिन्दी हो, तो वे विद्यार्थियों और अध्येतकोंके बारेमें अपना अखिल भारतीय स्वरूप किस तरह कायम रखेंगी?

सारे देशकी अेकता और प्रादेशिक विविधता — अिन दोनों जरूरतोंको सामने रखकर हमें अिन प्रश्नोंका हल खोजना है।

अंक राष्ट्रभाषाके जरिये हमें भारतकी अखंडता सिद्ध करनी है और उसे मजबूत बनाना है — लेकिन यह ध्येय शिक्षणके सारे दर्जोंमें मातृभाषाको शिक्षाका माध्यम बनानेसे मिलनवाले शैक्षणिक और सांस्कृतिक लाभोंका त्याग किये बिना प्राप्त होना चाहिये।

असि दृष्टिसे सोचने पर कुछ लोगों द्वारा सुझाया हुआ यह हल नहीं माना जा सकता कि संघभाषा हिन्दीको अंग्रेजीका स्थान लेना चाहिये और असिलिअे असे सारे भारतमें अुच्च शिक्षाका माध्यम और सारे राजकारोबारकी भाषा मान्य करना चाहिये। क्योंकि हिन्दी देशकी दूसरी भाषाओंसे अंसी श्रेष्ठ नहीं है कि दूसरे प्रान्तके लोग अपने प्रदेशमें अपनी भाषाको अुससे घटिया माननेको तैयार हो जायं। . . . हिन्दी देशके अल्पसंख्यक लोगोंकी भाषा है, यद्यपि अुनकी संख्या बड़ी है। दुर्भाग्यसे साहित्यिक या अैतिहासिक दृष्टिसे देखने पर वह देशकी दूसरी आधुनिक भाषाओंसे ज्यादा लाभदायक नहीं मालूम होती। . . . असी हालतमें राष्ट्रकी जरूरतोंको दखत हुअे हिन्दी (हिन्दुस्तानी) भारतकी राष्ट्रभाषा जरूर होनी चाहिये, लेकिन अुसे अंग्रेजीका स्थान देना कठिन है। फिर सारे भारतके लिअे भाषा संबंधी नीति क्या होनी चाहिये? संघभाषा हिन्दी संघके सारे सांस्कृतिक, शैक्षणिक और शासन संबंधी कामकाजके लिअे अुपयोगमें आयेगी। प्रादेशिक भाषायें प्रान्तोंमें और संघकी अिकाअियोंमें यही स्थान ग्रहण करेंगी। लेकिन भारतका हरअेक प्रदेश और अिकाअी केन्द्रीय राज्यतंत्रके कामोंमें योग्य हिस्सा ले सके असिके लिअे और अलग-अलग प्रान्तोंके बीच अेक दूसरेको भलीभांति समझनेकी और अेकताकी भावना बढ़े असिके लिअे भारतके शिक्षित वर्गके लोगोंको द्विभाषी बननेकी वृत्ति अपनेमें पैदा करनी होगी। और माध्यमिक शालाओंके अुंचे दर्जोंमें और युनिवर्सिटीके शिक्षणमें विद्यार्थियोंको तीन भाषायें सीखनी होंगी। यह तो साफ ही है कि हरअेक लड़के और लड़कीको प्रदेशकी भाषा तो सीखनी ही होगी। असिके अलावा, अुन्हें राजभाषा सीखनी चाहिये और अंग्रेजी पुस्तकें पढ़नेकी योग्यता प्राप्त करनी चाहिये।

हम चाहते हैं कि सारी माध्यमिक शालाओंमें राजभाषा हिन्दीकी पढ़ाअी दाखिल की जाय और युनिवर्सिटीके शिक्षणमें भी वह चालू रखी जाय। असिसे राजभाषाका आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान मिल जायगा। जिन्हें राजभाषाका ज्यादा गहरा अध्ययन करनेकी अिच्छा हो, अुनके लिअे अुसकी व्यवस्था कर दी जानी चाहिये। हिन्दीभाषी प्रदेशोंमें विद्यार्थियोंको दूसरी कोअी भारतीय भाषा सिखाअी जाय, तो अुन्हें लाभ होगा। असिसे वे दूसरे प्रदेशोंके विद्यार्थियोंकी बराबरीमें पहुंच जायंगे अितना ही नहीं, बल्कि असिसे अेक प्रदेशके नौजवान दूसरे प्रदेशमें काम करनेकी योग्यता प्राप्त कर सकेंगे। असिके अलावा, अंसा करनेसे प्रान्त प्रान्तके बीच मध्यस्थ बन सकनेवाले हिन्दीभाषी लोग काफी तादादमें मिल सकेंगे।

अुच्च शिक्षण वह प्रवेश द्वार है, जिसके जरिये कुछ पढ़े-लिखे नौजवान केन्द्रकी नौकरियों और राजनीतिमें प्रवेश करेंगे। लेकिन अुनका बहुत बड़ा भाग तो प्रान्तोंमें ही रहेगा। शिक्षाकी दृष्टिसे और लोकशाही समाजके साधारण कल्याणकी दृष्टिसे यह जरूरी है कि अुनका शिक्षण प्रादेशिक भाषाके जरिये ही हो। प्रादेशिक भाषा द्वारा दिया जानेवाला शिक्षण अुनकी प्रान्तीय प्रवृत्तियोंके लिअे जरूरी है अितना ही नहीं, बल्कि अुसकी बदौलत वे अपने साहित्यको समृद्ध बना सकेंगे और अपनी संस्कृतिका विकास कर सकेंगे। वे प्रादेशिक भाषा द्वारा स्वाभाविक ढंगसे शिक्षा ग्रहण करेंगे, असिलिअे व ज्ञान और विचारके अुंचे स्तर पर पहुंचेंगे; और असिसे ज्ञानकी वृद्धि और अनुसंधानको वे बहुत बड़ी गति दे सकेंगे। अुन्हें राजभाषाका जरूरी ज्ञान तो दिया ही गया होगा। असिलिअे अखिल भारतीय स्वरूपकी संस्थाओंमें जानेमें अुन्हें कोअी कठिनाअी नहीं होगी; वे अुनमें पढ़ानेका काम भी कर सकेंगे।

(अंग्रेजीसे)

## पहली आवश्यकतायें

चुनावके सिलसिलेमें अभी हालमें हरअेक राजनैतिक दलने अपने दलकी नीतिका प्रकाशन किया है, और घोषणा-पत्र जाहिर किये हैं। अिनमें हमारी पहली आवश्यकतायें क्या हैं, असि प्रश्न पर हरअेक दलने अपनी नीति बताअी है। जो सूचनाअें दी गअी है अुनमें सदिच्छा और सूझबूझकी कमी नहीं है। तब भी यह सवाल अुठता है कि अिन आकर्षक योजनाओं, नीतियों और अुनके विविध कार्यक्रमोंका सचमुच कोअी वास्तविक फल होगा या वे सिर्फ हवाअी ही ठहरेंगे?

अिन सब घोषणा-पत्रों पर काफी गंभीर विचार करनेके बाद असि निष्कर्ष पर आना पड़ता है कि अिन पत्रकोंने न केवल सच्ची पहली आवश्यकताओंकी अपेक्षा की है, बल्कि अुनका बहिष्कार किया है। हमारी जनशक्ति बड़ी है और लगातार बढ़ती जा रही है। सामान्य जनताका जीवनमान अितना नीचा है कि अुसे देखकर डर लगता है, और अुसमें व्यापक तथा तीव्र गरीबी है। तो असि जनताकी गरीबी दूर करना और अुसे पूरा काम देना, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। पश्चिममें अुद्योगोंकी बड़ी प्रगति हुअी और वे लोग अुसके पक्षमें बड़े-बड़े दावे करते हैं, लेकिन असिके बावजूद असि सवालका समाधान करनेमें पश्चिम भी कामयाब नहीं हुआ है।

समस्या बड़ी है और अुसे हल करनेमें भगीरथ प्रयत्नकी आवश्यकता होगी। मुझे तो असिमें बिलकुल शक नहीं है कि हमारे लिअे वही अेक रास्ता है, जिसका निर्देश राष्ट्रपिताने किया था; यानी हम अपने जीवनमें चरखेकी और अुसके नैतिक मूल्योंकी पुनः प्रतिष्ठा करें। चरखेकी हंसी होती थी और विपरीत आलोचना होती थी, लोगोंको अुसके अर्थकी पूरी जानकारी नहीं थी और अुन्हें अुसकी सफलतामें संदेह भी था; तब भी अेक समय चरखेने हमें वह अेकता दी थी, जिसकी अुस समय बड़ी आवश्यकता थी। अुसीने हमारे लिअे राजनैतिक आजादी भी हासिल की, और यह निश्चय है कि वह चरखा ही अेक बार फिर हमारी मदद करेगा और हमें आर्थिक स्वतंत्रता भी दिलायेगा। जरूरत असि बातकी है कि हम अुसका पूरा स्वीकार करें और अुसके साथ जो दूसरी चीअें आती हैं, अुन्हें भी मानें तथा अुनकी बुनियाद पर अपने अंदर अेकताका निर्माण करें।

यह देखकर आश्चर्य होता है कि चरखेके विषयमें ये सब घोषणा-पत्र बिलकुल चुप हैं। यह शायद असिलिअे हुआ है कि हमारी बुद्धि औद्योगिक क्रांतिने जिसका आरंभ किया था, अुस यंत्रप्रधान सभ्यताके मोहमें पड़कर और अुसकी आकर्षक कल्पनाओंके सपने देख-देखकर जड़ हो गअी है।

समय जा रहा है और देर हो रही है। बहुत देर हो जाय, अुसके पहले ही हमें चेतना चाहिये। दुनियाके अंसे अनेक देशोंका अितिहास हमारे सामने है, जिन्होंने मनुष्यकी अपेक्षा यंत्रकी शक्तिको ज्यादा बड़ा माना। अिन देशोंके अितिहाससे तथा वर्तमान घटनाओं और भूतकालके अनुभवसे हमें सबक लेना चाहिये। हमें चरखेकी और चरखेकी जीवन-पद्धतिको दृढ़तापूर्वक अपनाना चाहिये। स्वतंत्र भारतके लाखों गांवोंमें छोटी-छोटी टुकड़ियोंमें बसनेवाली साधारण जनताके सुवर्ण युगकी कामना हम करते हैं। लेकिन हमारा यह लक्ष्य कल्पनामात्र ही रहेगा, अगर हम असिके लिअे आवश्यक कार्यक्रमकी पहली सीढ़ीका विचार नहीं करते तथा अपने अिन लाखों भूख और गरीबीसे पीड़ित भाअियोंके लिअे सुख और शांतिमय जीवनकी व्यवस्था नहीं करते।

राजकोट, २०-७-५१

(अंग्रेजीसे)

विठ्ठलवास बोधानी

## हरिजनसेवक

८ सितम्बर

१९५१

### भारतकी भाषा-नीति

[भारतके विभिन्न राज्य और विश्वविद्यालय अपने काम-काजकी भाषाके प्रश्न पर विचार कर रहे हैं — राज्य अपने राज-कारोबारके लिये और विश्वविद्यालय अपने शिक्षा और परीक्षाके कामके लिये। भारतीय विधानने हमारे राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और प्रजातांत्रिक जीवन और प्रगतिके लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मामलेमें अग्रगण्य दिशा स्पष्ट शब्दोंमें बता दी है। अुसने राज्यों और अदालतोंकी भाषाके लिये तो प्रगतिकी निश्चित दिशा बता दी है, लेकिन विश्वविद्यालयोंके बारेमें ऐसा नहीं किया है। जिस प्रश्न पर भारतीय विश्वविद्यालयोंके वाजिस-चांसलरोंकी बनी ताराचन्द्र कमेटीने विचार किया था और बादमें डॉ० राधाकृष्णनकी अध्यक्षतामें विश्वविद्यालय कमिशनने जिस दिशामें सर्वग्राही कार्य किया। लेकिन जिस बातकी बड़ी आशंका है कि भारतीय संघके राज्य जिस सामान्य नीतिसे भटक जायं, जैसा कि बम्बयी सरकारकी अुस सूचनासे देखा जा सकता है, जिसका जिक्र मैंने १८ और २५ अगस्तके 'हरिजन' में किया है। जिसलिये विभिन्न राज्योंके जिस तरह भटक जानेकी आशंकाको टालनेके लिये भी भारतीय संघ और अुसके विभिन्न राज्योंकी भाषा-नीतिके बारेमें अधिकृत व्याख्याकी बड़ी जरूरत थी। यह व्याख्या खुद भारतीय संघके राष्ट्रपतिने अत्यन्त स्पष्ट शब्दोंमें कर दी है। यह व्याख्या अुन्होंने ३० अगस्तको अुस्मानिया युनिवर्सिटीके पदवीदान-समारोहके मौके पर दिये गये अपने भाषणमें की है। वह ता० ३१-८-५१ के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' से नीचे अुद्धृत किया जाता है।

२-९-५१

— म० देसाजी ]

आज आपने मुझे जो सम्मान दिया है, अुसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूँ और यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हमेशा अुसकी अुंची कदर करूँगा। यह सम्मान अुस विश्वविद्यालयसे मिला है, जो न सिर्फ़ ऐसा पहला ही विश्वविद्यालय है जिसने जिस देशमें बोली जानेवाली अेक भाषाको शिक्षाका माध्यम बनाया, बल्कि अुस भाषामें सारे वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक विषयों पर पाठ्य-पुस्तकें तैयार कराने और प्रकाशित करानेका काम भी पहले-पहल किया है।

माध्यमके तौर पर चुनी गयी भाषाकी सीमाओंमें अपने ढंगसे किया गया यह काम मुझे बड़ा अुत्साहवर्धक मालूम हुआ। क्योंकि जबसे मैंने सार्वजनिक जीवनमें सक्रिय भाग लेना शुरू किया, तभीसे जिस प्रश्नमें मेरी बड़ी दिलचस्पी रही है। यह कहते मुझे खुशी होती है कि आज जिस विषयमें लोकमत पूरी तरह जाग्रत हो गया है और बुद्धिशाली वर्ग और शिक्षाशास्त्रियों द्वारा आम तौर पर यह स्वीकार कर लिया गया है कि अगर शिक्षाके क्षेत्रमें हमें गैरजरूरी और टाली जा सकनेवाली समय और पैसकी बर्बादीसे बचना हो, तो शिक्षा स्थानीय या प्रादेशिक भाषामें ही दी जानी चाहिये। लेकिन जिस सबके बावजूद जनताके कुछ वर्गोंमें हमारे ध्यैयोंको पूरी तरह सफल बनानेके लिये सोच-समझकर निर्धारित की गयी भाषा-नीतिके बारेमें कुछ अस्पष्टता बनी हुयी है।

#### प्रजातांत्रिक समाज

आपकी मिजाजतसे मैं जिस विषयमें कुछ शब्द कहना चाहूँगा। मेरा विश्वास है कि जिस देशका हर व्यक्ति यह जानता है —

न जानता हो। तो मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति यह जाने — कि अपनी विधान-सभाके जरिये भारतकी सार्वभौम जनताने जो विधान स्वीकार किया है, अुसके मातहत जिस देशमें प्रजातांत्रिक समाजकी स्थापना करना हमारा फर्ज है — अंसा समाज जिसमें हर व्यक्ति और हर दलको अपनी संपूर्ण अुन्नति और विकास करनेके पूरे अधिकार और अवसर होंगे और दूसरोंके साथ केन्द्र और राज्योंमें सरकारकी नीतिको बनानेके समान अवसर प्राप्त होंगे।

शिक्षाके माध्यमके सम्बन्धमें अपनायी जानेवाली नीतिकी विचार करते समय हम सबको अपने जिस आदेशप्राप्त कर्तव्यका ध्यान रखना चाहिये। मेरे लिये यह कहना जरूरी नहीं है कि शिक्षा अपने आपमें अेक बड़ी शक्ति है और जो व्यक्ति अुससे रहित है, अुसे अपना पूर्ण विकास करनेका या अपने देश और प्रांतकी सरकारके कार्यों और नीतियों पर कारगर असर डालनेका कोई मौका नहीं मिल सकता। जिसलिये यह स्पष्ट है कि शिक्षाकी पद्धति और साधन अंसे होने चाहिये, जो आदमी आदमी और दलोंके बीच किसी तरहके भेदभावकी गुंजायिश न रखें।

जिससे जाहिर होता है कि हर तरहकी शिक्षा — प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालयकी — बड़े आकारके हर भाषा-भाषी दलको अुसकी अपनी ही भाषामें मिलनी चाहिये। अंसा होगा तो ही अुसे शिक्षाके लाभ प्राप्त करनेके लिये दूसरे दलसे ज्यादा समय, पैसा और शक्ति खर्च नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी कोई कार्यपद्धति अुसे अुस दलकी तुलनामें नुकसान पहुंचायेगी, जिसके बच्चे अपनी भाषामें शिक्षा ग्रहण करेंगे। जिसका यह मतलब है कि हर भाषावार प्रदेशमें प्राथमिक, माध्यमिक और अुच्च शिक्षा अुस प्रदेशकी भाषामें ही दी जानी चाहिये।

#### भाषावार प्रदेश

लेकिन मैं जिस बात पर जोर देना चाहूँगा कि यह तभी संभव हो सकता है, जब किसी भाषाभाषी दलकी संख्या काफी हो और वह अेक सघन क्षेत्रमें बसा हुआ हो। जो लोग बहुत थोड़ी तादादमें हों और दूसरे भाषाभाषी प्रदेशोंके विभिन्न भागोंमें बिखरे हुये हों, अुनकी यह मांग अुचित नहीं मानी जायगी कि अुन भाषाभाषी प्रदेशोंकी सरकारोंको अुनके बच्चोंको अपनी मातृभाषामें शिक्षा देनेका प्रबन्ध करना चाहिये। हां, प्राथमिक शिक्षाके लिये वे यह मांग कर सकते हैं। अंसी मांगको स्वीकार करनेसे सरकार पर आर्थिक और दूसरी तरहके क्या बोझ पड़ेगा, यह आसानीसे समझा जा सकता है।

भारतके हर निश्चित भाषाभाषी प्रदेशमें दूसरी भाषायें बोलनेवाले लोग थोड़ी तादादमें मिल ही आयेगे। अगर अुस प्रदेशके हर स्कूल, हर कालेज और हर विश्वविद्यालयमें अिन सारे अलग-अलग भाषाभाषी दलोंके बच्चोंको पढ़ानेके लिये अलग प्रबन्ध किया जाय, तो बहुत बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़े। जिसके अलावा, राजनैतिक दृष्टिसे यह वांछनीय है कि किसी दूसरे भाषाभाषी प्रदेशमें बिखरे हुये अंसे छोटे-छोटे दल बड़े दलके साथ मिलकर अेक हो जायं। जिसके बजाय, अगर अे बड़े भाषाभाषी दलसे बिलकुल अलग बने रहेंगे और जिस तरह भेदको कायम रखेंगे, तो संभव है अुनमें और अुनके अेगसपास बसे हुये बड़े जनसमूहके बीच मनमुटाव और गलतफहमी पैदा हो जाय। अगर हर भाषाभाषी दल आर्थिक और राजनैतिक हकीकतोंकी जिस ठोस दलीलको उठे दिमागसे समझ ले, तो जिस देशमें भाषा संबन्धी सवालकी बहुत कुछ अुलझन सुलझ जाय।

हरअेक प्रादेशिक भाषाका विकास करना होगा और अुसके साहित्यको समृद्ध बनाना होगा, ताकि वह प्राचीन और अर्वाचीन सब तरहके ज्ञानका सम्पन्न भण्डार और योग्य वाहन बन सके। प्रादेशिक सरकार या सरकारोंका यह फर्ज है कि वे भाषाके जिस

विकास और प्रगतिमें यथासंभव मदद करें और उसे प्रोत्साहन दें। यह काम भाषाके मौजूदा रूप और शब्द-भण्डारकी नींव पर आधार रखकर और दूसरी प्रादेशिक भाषाओंके स्वभावतः और सरलतासे अपनाये तथा अनुरूप बनाये जा सकनेवाले शब्द लेकर उसे सुन्दर व-समृद्ध बनाकर अुत्तम ढंगसे किया जा सकता है। भाषाको सोलह आने शुद्ध बनानेके लिये शब्दों, मुहावरों और व्याकरण-शुद्ध रचनाको भी जिस आधार पर छोड़नेका कोई प्रयत्न कि वे दूसरी भाषाओंसे लिये गये हैं और मूलरूपमें उस स्रोतसे नहीं आये हैं, जिससे उस भाषाकी उत्पत्ति हुआ है, न सिर्फ असफल रहेगा, बल्कि भाषाको समृद्ध बनानेके बजाय कंगाल बनायेगा।

### यह मनोवृत्ति बुरी है

जिसके अलावा, हमें अपनी शक्तिको हमारे देशसे अज्ञान और गरीबी दूर करनेके आवश्यक कार्योंमें खर्च करनेके लिये भरसक बचाना है; हम उसे जिस तरहके दुष्ट नहीं तो पूरी तरह अनावश्यक काममें जरा भी बरबाद नहीं कर सकते। मैं किसी भाषाको जिस तरह बिल्कुल शुद्ध बनानेके प्रयत्नमें कोई औचित्य नहीं देखता। क्योंकि भाषा आखिर अपने विचारोंको व्यक्त करनेका साधन है; और अगर कोई शब्द-प्रतीक लोगों द्वारा अच्छी तरह समझ लिया जाता है, तो उसका सिर्फ इसीलिये बहिष्कार करनेका कोई कारण नहीं है कि वह विदेशी स्रोतका है। साथ ही, किसी भाषाका विकास अंसी दिशामें होना चाहिये, जिसमें वह संबन्धित भाषाभाषी प्रदेशके विशाल जनसमूहके लिये ज्यादा-ज्यादा स्वीकार्य और समझने लायक हो सके। उसके विषय, उसकी शैली और उसका शब्द-भण्डार आम जनताके जीवन और बोलीसे अधिकसे अधिक नजदीक होने चाहियें। मेरा यह विश्वास है कि समाजकी दूसरी संस्थाओंकी तरह भाषाको भी जनताके हृदय तक पहुंचनेसे ही ज्यादा लाभ हो सकेगा।

प्रादेशिक भाषाओंको विकसित और समृद्ध बनाना निहायत जरूरी है; लेकिन साथ ही एक दूसरे प्रश्न पर भी सावधानीसे विचार किया जाना चाहिये। हमारा देश बहुभाषी है। जिसलिये हमारे पास एक अंसी समान भाषा होनी चाहिये, जिसके जरिये विभिन्न भाषाभाषी प्रदेश आन्तरप्रान्तीय और राष्ट्रीय जीवनसे संबंध रखनेवाली बातोंमें एक-दूसरेके साथ व्यवहार कर सकें। पूरे विचार-विमर्शके बाद विधान-सभाने विधानमें यह व्यवस्था की कि वह समान भाषा देवनागरी लिपिमें लिखि जानेवाली हिन्दी होगी और संघके सरकारी कामकाजके लिये अुपयोग किये जानेवाले अंकोंका रूप भारतीय अंकोंका आन्तरराष्ट्रीय रूप होगा। यह निर्णय सर्वानुमतिसे और देशके सारे तत्त्वोंके हितोंका पूरा ध्यान रखकर किया गया था।

मेरे खयालसे देशके किसी नागरिकको यह आशंका रखनेका कोई कारण नहीं है कि जिस निर्णयसे उसके या उसके दलके हितोंको किसी तरह नुकसान पहुंचेगा। यहां जिससे ज्यादा कहना मेरे लिये जरूरी नहीं है कि हर भाषाभाषी प्रदेशके शिक्षाक्रममें संघ-भाषा हिन्दीकी पढ़ाईका प्रबंध होना ही चाहिये। जिस बात पर और देना जरूरी है, ताकि अ-हिन्दी भाषी लोगोंको किसी तरहका नुकसान या असुविधा न अुठानी पड़े। अ-हिन्दी भाषी प्रदेशोंके सामान्य शिक्षाक्रममें हिन्दीके शिक्षणको कैसे और किस दर्जे पर स्थान दिया जा सकता है, जिसकी योजना जल्दी ही तैयार की जानी चाहिये और उसे अमलमें लानेके लिये अुचित कदम अुठाये जाने चाहियें, ताकि विधान द्वारा तय किये गये समयके भीतर हृष अंग्रेजीके बिना संघका सरकारी कामकाज चलाने लायक हो जाय।

जिस रियासतके लोग तीत भाषाये बोलते हैं, जिनके प्रदेश कम-अथवा रूपमें निश्चित हो चुके हैं। यह रियासत अुर्दूके विकास

और प्रगतिके लिये हर तरहकी दिली कोशिश करती रही है, जिसे मैं उस भाषाकी एक शैली या रूप मात्र मानता हूं, जो विधान द्वारा संघभाषाके रूपमें स्वीकार की गयी है — हालां कि अुर्दूकी अपनी लिपि है और उसका शब्द-भण्डार भी अलग है। जिस तरह जिस राज्यके सामने भी वही समस्या है, जो हमारे बहुभाषी देशको हल करनी है। लेकिन जिसे एक अनुकूलता रही है। जिसने राज्यके कारोबारके लिये एक अंसी भाषाका विकास किया है, जो तीनों प्रादेशिक भाषाओंसे भिन्न है। जिस तरह प्राप्त किये गये अनुभवसे हम जो लाभ और सबक ले सकें, हमें लेने चाहियें और उनको रक्षा करनी चाहिये। मुझे लगता है कि यह अनुभव बड़ा कीमती साबित हो सकता है; वह हमारी अिमारत खड़ी करनेके लिये नींवका काम देगा। जिस युनिवर्सिटीका यह कर्तव्य और विशेष अधिकार है कि वह उस नींव पर अंसी भव्य अिमारत खड़ी करे, जो उसकी ख्याति और हमारे राष्ट्रके बड़े लाभका कारण बने।

मुझे यह सम्मानपूर्ण अुपाधि देकर आपने मेरे प्रति जो सौजन्य और सद्भाव दिखाया है, उसके लिये मैं एक बार फिर आपका आभार मानता हूं और कामना करता हूं कि यह युनिवर्सिटी दिनों-दिन ज्यादा सफल और ज्यादा समृद्ध बने।

(अंग्रेजीसे)

## नेहरू-टंडनवाद

[श्री विनोबाका जाहिर निवेदन]

पंडित नेहरूने कांग्रेसकी वॉकिंग कमेटीसे अिस्तीफा दे दिया, जिसके कारण देशमें एक बड़ा भारी विचार-मंथन शुरू हुआ है। कुछ मित्रोंने जिस बारेमें मेरे विचार जाननेकी अिच्छा प्रगट की है, जिसलिये चंद शब्द लिख रहा हूं।

आरंभमें अितना कहना ही चाहिये कि यद्यपि मुझे कांग्रेसके लिये बहुत आदर रहा है और एक सिपाहीके नाते मीकों पर उसकी सेवा करनेका भाग्य भी मुझे हासिल हुआ है, तो भी १९२६ से आज तक मैं कभी कांग्रेसका प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहा। जिस हालतमें कांग्रेसके अंतर्गत मामलेमें मुझे विचार प्रगट करनेकी खास जरूरत नहीं होनी चाहिये। लेकिन अभी जो सवाल पैदा हुआ है, उसका महत्त्व केवल कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह सारे देशका सवाल है और देशके बाहर भी उसका असर पड़नेवाला है।

नेता कौन? नेहरू या और कोई? जिस तरहका व्यक्तिगत रूप देकर जिस सवालको नहीं सोचना चाहिये। नेहरू निःसंशय बड़े मनुष्य हैं। दूसरे भी बड़े मनुष्य हो सकते हैं। लेकिन मनुष्यकी बड़ाई किसी विचारके कारण होती है। जिसलिये व्यक्तियोंको भूलकर विचार-दृष्टिसे ही सोचना चाहिये।

नेहरू किन विचारोंका प्रतिनिधित्व करते हैं यह हम देखें। वे विचार हमें कबूल हों तो हम उनका नेतृत्व मानें, न हों तो हम उनको उस जिम्मेदारीसे मुक्त कर दें।

नेहरू जिन विचारोंके लिये अपनी शक्तिभर जूझ रहे हैं, वे मुख्य दो हैं; दोनों मिलकर संपूर्ण विचार एक ही हैं।

१. अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रमें सक्रिय तटस्थ वृत्ति।

वे हिन्दुस्तानके लिये किसी भी एक गुटमें शामिल होना पसंद नहीं करते। बल्कि हिन्दुस्तानके नैतिक वजनका अुपयोग दुनियाकी शांति और आजादीके लिये करना चाहते हैं। जिसलिये वे हिन्दुस्तानकी अपनी स्वतंत्र विदेश-नीति रखना चाहते हैं। जिसके विरुद्ध कांग्रेसवालोंमें आज एक अंसा पक्ष बन रहा है, जो अमेरिका आदिके साथ हिन्दुस्तानका नाता जोड़नेमें देशका भला देखता है।

२. वे हिन्दू, मुसलमान, क्रिस्ती आदि सबको समान भावसे देखना चाहते हैं, और जातीयताके शत्रु हैं। वे हिन्दुस्तानमें

अपाधिक-राज्य चलाना चाहते हैं, जिसे मैं अपनी भाषामें वेदांती राज्य कहता हूँ। इसके विरुद्ध जिस देशमें हिन्दू संस्कृति चलनी चाहिये, जिस तरह भी सोचनेवाले कुछ लोग कांग्रेसमें हैं। उनका हिन्दुत्व शायद हिन्दूसभावालों जैसा या जितना कट्टर नहीं होगा, लेकिन जाति असुकी वही है। यही दो मुख्य विचार हैं, जिन पर कांग्रेसवालोंको सोचना है और निश्चय करना है। नेहरूके व्यक्तित्वमें कभी गुण और कभी दोष पड़े हैं, जैसे हरअंकके व्यक्तित्वमें होते हैं। लेकिन नेहरूके व्यक्तित्वका खयाल यहां प्रस्तुत नहीं है। अपर दिग्दर्शित किया हुआ नेहरू-विचार यहां प्रस्तुत है। मेरी रायमें नेहरू-विचार ही देशके लिये तारक हो सकता है।

नेहरूके राज्य-कारोबारका मैंने यहां विचार नहीं किया। उसके बारेमें बहुतोंको असंतोष है। मुझे भी है। और मैं मानता हूँ कि नेहरूको भी है। स्वराज्य-चालनका अनुभव सदियोंसे हमें नहीं रहा। उसके कारण गलतियां होना अस्वाभाविक नहीं है। फिर भी गलतियोंका बचाव नहीं हो सकता। उनका सुधार ही हो सकता है और करना चाहिये।

यहां मैंने नेहरूके नेशनल प्लैनिंगका भी विचार नहीं किया है। उसके बारेमें मुझे तीव्र असंतोष है, लेकिन कांग्रेसवालोंमें नहीं दीखता है। जिसलिये उसकी चर्चा यहां अप्रस्तुत है।

आखिरमें एक और सवाल, जो अभी कुछ लोगोंने अपस्थित किया है। वे पूछते हैं क्या नेहरू पर कुछ अंकुशकी जरूरत नहीं है? नहीं तो वे डिक्टेटर नहीं बन जायेंगे? जहां तक मैं नेहरूको पहचान सका हूँ, नेहरू और जो कुछ भी हों सकें, डिक्टेटर नहीं हो सकते। क्योंकि स्थूल संघटनकी वृत्ति, जो कि डिक्टेटरके लिये जरूरी होती है, नेहरूमें नहीं है। उनका विरोध करनेवाले ही जिस गुणमें अधिक प्रवीण हो सकते हैं। नेहरूकी जिस न्यूनताकी पूर्ति करनेकी इच्छा उनके अनुयायियोंको हो सकती है, जिससे नेहरूका नहीं, बल्कि नेहरूके विरोधियोंका बल बढ़ सकता है।

सारांश नेहरूके डिक्टेटर बननेका मुझे कोई अंदेशा नहीं है। लेकिन उन पर भी अंकुश होना मैं जरूरी मानता हूँ। लोकमतके अंकुशके बिना रामराज्य भी नहीं चला, तो लोकराज्य कैसे चलेगा? मैं मानता हूँ कि अंकुश तो नेहरू खुद भी चाहेंगे, और जैसे अंकुशके लिये पार्लमेण्ट तो बैठी ही है। फिर हमें क्यों फिर होनी चाहिये?

थोड़ेमें मेरे ये विचार हैं। मैं अपनेको उस अर्थमें राजनीतिज्ञ नहीं मानता, जिस अर्थमें वह शब्द आज प्रचलित है। मैं सर्वोदयका एक नम्र सेवक हूँ। और उसी नाते मंत्रे ये विचार प्रगट किये हैं।

परंधाम, पवनार,  
२८-८-५१

## कांग्रेसका मसला

नेहरू-टंडन विवाद पर, जिसने कांग्रेसमें फूटकी परिस्थिति पैदा कर दी है, श्री विनोबाका वक्तव्य जनताके सामने आ गया है। तत्काल उसमें कुछ और जोड़नेकी आवश्यकता नहीं थी, जिसलिये मैंने जो अपना वक्तव्य बनाया था, उसे रोक लिया। जिस बीचमें मध्यप्रदेशकी धारासभामें दिया हुआ श्री मिश्रका वक्तव्य भी मैंने देख लिया है।

जिस विषयको लेकर जनताको पंडित नेहरूके प्रति अपना प्रम और आदर प्रगट करनेका पूरा अधिकार है, और खुशीकी बात है कि वह उसने साफ तौर पर प्रगट भी किया है। लेकिन मिश्रजीने अपना मतभेद जाहिर किया, जिसलिये उनके खिलाफ गुस्सा प्रगट करना उचित नहीं है। यह तो सब जानते हैं, श्री मिश्र भी पूरी तरह जानते हैं, कि देशमें जवाहरलालके विरोधमें खड़े हो सकनेकी उनकी स्थिति नहीं है; उसके लिये

वे बहुत छोटे पड़ते हैं। फिर भी यदि वे उनकी मुखालफत करनेका साहस करते हैं, तो न्यायका तकाजा है कि उनकी बात शांतिसे सुन ली जाय। लोकतंत्रमें छोटेसे छोटा नागरिक भी देशके सर्वोच्च व्यक्तिकी आलोचना कर सकता है। श्री मिश्रका मत सही है या नहीं, यह अलग सवाल है। उनके कथन पर विचार किया जा सकता है, और अगर वह प्रमाण-सिद्ध नहीं है तो उसे अमान्य किया जा सकता है। लेकिन नेहरू और टंडनमें ठीक क्या मतभेद है, जिस विषयका कुछ दिग्दर्शन श्री मिश्रने जनताको कराया, जिसके लिये तो जनताको उनका कृतज्ञ ही होना चाहिये। जनताको जिन मतभेदोंकी बहुत कम जानकारी है। श्री मिश्रने जिस रहस्यको खोलना शुरू कर दिया है, यह बहुत अच्छा है।

श्री मिश्रने अपने वक्तव्यमें पंडित नेहरू और उनकी नीतिकी आलोचना करना चाही है, लेकिन सचमुच तो वह कांग्रेसकी ही आलोचना हो गयी है। वक्तव्य लगभग यह कहता मालूम होता है कि विभिन्न सरकारों, धारासभाओं, कांग्रेसकी कार्यकारिणी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आदिमें जो कांग्रेस-प्रतिनिधि हैं, अन्होंने कभी भी अपने कर्तव्यका सच्चा और पूरा पालन नहीं किया, और वे न तो नेहरूके प्रति वफादार थे, और न अपने प्रति या जनताके प्रति। सारे निवेदनका नतीजा यह निकलता है कि उससे जवाहरलालजीकी यह शिकायत मजबूत होती है कि कांग्रेसअनुके प्रस्ताव पास कर देती है और उनकी नीतियां तो मान लेती है, लेकिन वह ऐसा अध्यक्ष चुनती है और जैसे व्यक्तियोंकी कार्यकारिणी निर्माण करती है, जो अतक प्रस्तावोंकी विषय-वस्तुके प्रति भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं, और जिनके विचार जवाहरलालजीकी विचार-दृष्टिके प्रतिकूल हैं। अगर संभव हो तो जैसे हरअंक सवाल पर, जिन्हें नेहरू बहुत अहम मानते हैं, वे नेहरूकी नीतिकी बिल्कुल बदल डालेंगे, और नेहरूने जो कदम अुठायें हैं, उनसे भिन्न कदम अुठायेंगे।

श्री मिश्रका दूसरा आरोप यह है कि नेहरूकी केन्द्रीय सरकारका शासन बहुत कमजोर है, नीतियां बदलती रहती है, तथा वह प्रान्तीय राज्योंके अधिकार-क्षेत्रमें अनुचित दस्तन्दाजी करती है। केन्द्रीय सरकारकी जिन सारी बुराइयोंका दोष श्री मिश्र खुद नेहरू पर रखते हैं। श्री मिश्रकी शिकायत है कि पंडित नेहरू अपनी योजनाओंकी तफसीलमें नहीं जाते, और वे खुशामदियोंसे घिरे हुए हैं। शासन चलानेकी दृष्टिसे वे 'महाशून्य' हैं। लेकिन जिसका अुपाय तो यह होगा कि कांग्रेसके शासन-पटु और 'अंक' का मूल्य रखनेका दावा करनेवाले लोग श्री नेहरूकी मदद करें और उनके विचारों पर अमल कैसे किया जा सकता है जिसकी तफसील, उनके दृष्टिकोणको स्वीकार करते हुए, उनके सामने पेश करें; उसका अुपाय यह तो नहीं हो सकता कि उनकी नीतियोंको अुलट दिया जाय।

श्री मिश्रके वक्तव्यका तीसरा आरोप यह है कि संविधानने केन्द्रको बहुत ज्यादा शक्ति सौंप दी है और प्रादेशिक सरकारोंको जैसे अनेक विषयोंमें निरुपाय बना दिया है, जिनका जनताके जीवनके हिताहितसे घनिष्ठ संबंध है। अगर जिस आरोपमें कोई सच्चायी है, तो जिसका दोष नेहरू पर न होकर कांग्रेस और प्रान्तीय सरकारों पर ही है। वे खुद गांधीजीकी सलाहके खिलाफ केन्द्रको भरसक सशक्त बनानेके लिये अुत्सुक थे। सच तो यह है कि विकेन्द्रीकरण और ग्रामोद्धारकी नीति स्वीकार करनेका निर्देश संविधानमें बड़ी कठिनायीसे रखवाया जा सका। संविधान जब बन रहा था, उस समय प्रान्तीय सरकारें क्या कर रही थीं? सत्ताके जिस केन्द्रीकरणके खिलाफ अन्होंने कभी आवाज अुठायी हो, ऐसा तो कुछ सुना ही नहीं। जहां तक हम जानते हैं टंडन-पक्षके सदस्योंने सिर्फ एक ही बार गर्मीकी हवा पैदा कर दी थी, जब भाषा-संबंधी विवाद

और अरबी अंकोंका सवाल पेश हुआ था। लेकिन जो हुआ सो हुआ। संविधानके दोष अभी भी दूर किये जा सकते हैं। लेकिन यह मान लेना चाहिये कि संविधानके दोषोंकी जिम्मेदारी अकेले नेहरू पर नहीं है, कांग्रेस और प्रान्तों पर भी है।

कृपलानीजी और उनके साथी कांग्रेसमें अलग दल बनाकर रहना चाहते थे। जिसका विरोध हुआ। और अन्तमें अन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेसमें अकेला पैदा नहीं हुआ है। अब टंडन और नेहरूकी विचारधाराओंमें संघर्ष हो रहा है। कृपलानीजी कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वे अपना बहुमत बनाकर किसी दिन कांग्रेस-तंत्र अपने हाथमें लेनेकी अिच्छा रखते थे। टंडन-पक्षने कांग्रेस-तंत्र पर अधिकार कर लिया है और अब वह नेहरूको सरकारसे निकालना चाहता है। अगर कांग्रेस टंडन-पक्षका समर्थन करे, तो कांग्रेसके विधानके अनुसार असा बेशक किया जा सकता है।

मेरी दृष्टिमें नेहरू और टंडनकी तुलनामें टंडनकीका पक्ष अक अग्रगतिशील पक्ष है, और अगर कांग्रेस संस्था संस्थाकी तरह मिटना नहीं चाहती है, तो उसे चाहिये कि वह नेहरूके लिये रास्ता साफ कर दे। उसे नेहरूको वेडियोंमें कसनेकी कोशिश नहीं करनी चाहिये। लेकिन अगर उसे यह विश्वास है कि कांग्रेसमें उसका सच्चा बहुमत है, तो उसे साहसपूर्वक नेहरूको रखसत दे देनी चाहिये, और आज जो अकेलाका झूठा दिखावा चल रहा है, उसे समाप्त कर देना चाहिये। बेशक, अगर वह जनताको अपने साथ नहीं रख सकी, तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

कभी कांग्रेस-संस्थाओंने टंडन और नेहरू दोनोंमें विश्वास प्रगट करते हुअे प्रस्ताव पास किये हैं। मुझे डर है कि अन्होंने 'विश्वास' शब्दका ठीक अर्थ नहीं समझा है। 'विश्वास' का मतलब अिस तरहका प्रमाणपत्र देना नहीं है कि वे दोनों अच्छे, सच्चरित्र, अीमानदार और देशभक्त हैं। यह तो दोनोंके बारेमें बिलकुल सही है ही, और वे स्वयं भी अक-दूसरेकी असी प्रशंसा करेंगे। यहां तो अुन दोनोंकी अलग-अलग नीतियोंमें विश्वास प्रगट करनेका सवाल है। और यह स्पष्ट है कि दोनोंके दृष्टिकोण अक दूसरेके विरुद्ध हैं; और अगर कांग्रेस-संस्थायें असा कहती हैं कि अुनका दोनोंमें विश्वास है, तो उसका यह अर्थ हो जाता है कि वे पाकिस्तानसे युद्ध भी चाहती हैं और शान्ति भी, अमरीकी गुटमें शामिल होना भी पसंद करती हैं और अपनी बँदेशिक नीति स्वतंत्र रखनेके पक्षमें भी हैं, हिन्दू-संस्कृतिकी प्रधानताकी अिच्छा भी रखती हैं और सबकी समन्वित संस्कृति भी बनाना चाहती हैं, अित्यादि। अन्हें समझना चाहिये कि असा नहीं हो सकता। अन्हें किसी अकको चुनना है, फिर उससे लाभ हो या हानि।

अगर कांग्रेस भविष्यके लिये अपना निर्माण करना चाहती है तथा अक संघटित, अकमत और सुदृढ़ पार्टीकी तरह रहना चाहती है और निरंतर प्रगतिशील दृष्टिकोण रखनेकी अिच्छा रखती है, तो मेरी नज़र सलाह है कि उसे केन्द्रीय सभाके नेता और कांग्रेस-अध्यक्षके पदोंको जोड़कर अक कर देना चाहिये, तथा कांग्रेस अध्यक्षकी जगह सभापति (chairman) और कार्यकारिणी चुनकर संतोष कर लेना चाहिये; यह सभापति और कार्यकारिणी अुस प्रमुख नेताके अधीन, उसके लिये पार्टीका गैर-सरकारी काम करें। यह समिति अिस लक्ष्यको ध्यानमें रखकर बनाना चाहिये कि कांग्रेस विचारधाराका प्रतिनिधित्व करनेमें समर्थ कुशल राजनीतिज्ञों और शासकोंकी अक दूसरी पंक्ति तैयार रखना है। अिसलिये अिस समितिमें असे ही व्यक्ति होने चाहियें, जिनका दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण प्रश्नों और योजनाओं पर यथासभव प्रधान मंत्रीके साथ अक ही हो। अन्यथा परिस्थिति यह होगी कि अक ओर प्रधान मंत्री और

अुसका मंत्रि-मंडल और दूसरी ओर कांग्रेस-अध्यक्ष और अुसकी कार्यकारिणी दोनोंमें तनाजा रहेगा, तथा देर-सबेर किसी अकको या तो दबना पड़ेगा, या अपने पदसे हटना पड़ेगा।

वर्धा, ३०-८-५१

कि० घ० मशरूवाला

पुनश्च: अूपरका लेख पढ़कर श्री द्वा० प्र० मिश्रको लगा कि मेरे बयानसे संभवतः जनता पर यह छाप पड़ सकती है कि अुसमें मैंने जिन वातोंकी चर्चा की है, अुन सब पर श्री टंडन और अुनकी अक ही राय है। वे यह साफ कर देना चाहते हैं कि अुनका अलबारी निवेदन और मध्यप्रदेशकी धारासभामें दिया गया वक्तव्य अुनका व्यक्तिगत मत प्रगट करते हैं और अुन्हें यह विश्वास नहीं है कि टंडनजी या दूसरे हरअक मुद्दे पर अुनसे अकमत हैं।

वर्धा, ११-८-५१

(अंग्रेजीसे)

कि० घ० म०

## श्री टंडनजीका निवेदन

श्री किशोरलाल मशरूवालाने अभी हालके अपने अक वक्तव्यमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपसे मुझ पर असे विचारोंका आरोपण किया है, जो मुझसे अुतने ही दूर हैं, जितना सत्यसे असत्य।

श्री टंडनने आगे कहा: "अुदाहरणके लिये, वे मुझे कुछ कुछ आर्यसमाजी विचार रखनेवाले अूँचे वर्गके कट्टर सनातनी हिन्दुओंका प्रतिनिधि बताते हैं और मेरे विषयमें प्रतिगामी हिन्दू संस्कृतिका हिमायती होनेकी भी कल्पना करते हैं। यह मेरा सच्चा चित्र नहीं, बल्कि हास्यचित्र है। मेरा सारा जीवन अुस बातका अिनकार करता है, जो श्री मशरूवाला मेरे बारेमें लिखते हैं। मैंने अकसर यह कहा है कि दुनियामें असी कोअी पुस्तक नहीं है, जिसे मैं बुद्धिके प्रमाणसे अूपर मानता हूँ। अिस अक सिद्धान्तमें अुन झूठे अंधविश्वासी विचारोंका अिनकार समाया हुआ है, जिनका श्री मशरूवाला कट्टर हिन्दू धर्मके नाम पर मुझ पर आरोपण करते हैं।

"संस्कृतिके प्रश्न पर मैंने कभी बार कहा है कि मैं यह नहीं मानता कि किसी खास धर्मसे जुड़ी हुआ हिन्दू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, जैन संस्कृति या दूसरी किसी संस्कृति जैसी कोअी चीज है। मेरे विचारसे संस्कृतिका सम्बन्ध भूमिसे है और अुसीसे वह पैदा होती है। मैं हमेशा भारतीय संस्कृतिकी बात करता हूँ, जिसका अर्थ हमारे देशकी संस्कृतिकी है। अिस संस्कृतिकी तुलना मैंने अुस बड़ी भारी नदीसे की है, जो हिमालयके अदृष्ट स्रोतोंसे निकलती है और सहायक नदियोंका — जो अुसकी शक्तिको बढ़ाती हैं और अुसमें मिलकर अुसके प्रवाहको बदलती हैं — पानी अिकट्टा करके समुद्रकी ओर बढ़ती है। अिस तरह यह संस्कृति प्राचीन और अर्वाचीन, भूतकाल और वर्तमानकी निरन्तर मिलनेवाली देनोंसे बनी है। वह अिस देशके विभिन्न मार्गोंका अनुसरण करनेवाले कार्यकर्ताओं और विचारकोंको गले लगाती है। वह असी छिछली चीज नहीं है, जो किसी साम्प्रदायिक दल तक ही सीमित और अवरुद्ध हो; बल्कि अक प्रचंड और शाश्वत प्रवाह है, जो हमारी प्रजाके जीवन और भविष्यको गढ़ने-वाला है।"

(ता० ४-९-५१ के 'हितवाद'से)

[नोट: भारतीय संस्कृतिके बारेमें श्री टंडनजीका मत जानकर मुझे खुशी हुआ और मैं अुसे पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होगी, अगर मुझे यह विश्वास दिलाया जाय कि सारी कांग्रेस अुनके अिस मतको तहेदिलसे मानती है।]

वर्धा, ४-९-५१

(अंग्रेजीसे)

— कि० घ० मशरूवाला ]

## टिप्पणियां

### भूदान-यज्ञ

आचार्य विनोबाजीको 'भूदान-यज्ञ' के लिये १३००० अकड़ जमीन मिली है। उसे बेजमीन गरीब लोगोंमें बांटनेके लिये अकड़ कमेटी बनी है। जिस कमेटीने ५ अगस्तसे गांव-गांव घूमकर जमीनके बंटवारेका काम शुरू कर दिया है। श्री विनोबाजीके वर्धा चले जानेके बाद भी जिस कमेटीको जमीन मिलती रही है, तथा अधिकाधिक जमीनके लिये कोशिश चल रही है। सरकार और जनता दोनों जिस काममें मदद कर रही हैं।

जमीन संबंधी कानून बन जानेके बाद भी गरीबोंको जमीन मिलना आसान नहीं होगा। अन्हें जमीन मिल सके, जिसके लिये विनोबाजीवाला रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। कानूनी कठिनायियोंको दूर करके सरकारने भी इसी मार्गको पसन्द किया है। सरकारने पट्टे आदि करनेमें 'भूदान-यज्ञ' कमेटीको सुविधायें भी दी हैं। अब कमेटीको गांव-गांव दौरा करके जमीन बांटनेका काम करनेमें शहरी जनतासे आर्थिक सहायताकी जरूरत है। अनुमान है कि अकड़ अकड़ जमीन पर १ रु० खर्च आयेगा। जिस कामको जो लोग अच्छा समझते हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे जो कुछ भी देना चाहें, वह हमारे मांगने आनेकी राह न देखकर खुद तुरंत भेज दें। सरकारी अधिकारी, व्यापारी, छोटे-बड़े सभी लोग जिस काममें मदद कर सकते हैं। मंचरियाल संमेलनमें जिन लोगोंने जिस काममें मदद करनेकी प्रतिज्ञा ली है, उनका फर्ज है कि वे जनताके पास पहुंचें और जिस काममें सहायता करें।

नोट: जो सज्जन रुपया भेजना चाहें, वे अपनी रकम श्री केशवराव, मार्फत श्री वी० रामकृष्णराव, शिक्षामंत्री, बरकतपुरा, हैदराबादके पते पर भेजनेकी कृपा करें।

रामकिशन धूत

### बिहार खादी-समितिका निश्चय

बिहार खादी-समितिके संचालक मण्डलने अपने अनेक प्रमुख कार्यकर्ताओंकी सहमतिसे नीचे लिखे प्रस्ताव अपनी ता० २४ और २५ जुलाई, १९५१ की बैठकमें मंजूर किये हैं:

"चूंकि भोजन-वसनमें केन्द्रित अद्योगोंसे उत्पादित सामान पर अपने जीवनको निर्भर रखनेसे दिनानुदिन स्वावलम्बी भावना और ग्रामोद्योगोंका नाश हो रहा है, जिससे पराश्रित और शोषित होकर गांवकी जनता ब्रबस बेकारी, आलस्य, दरिद्रता और परव्रशताके चंगुलमें फंस रही है, जिस कारण बिहार खादी-समितिके संचालक मंडलकी रायमें अब वह समय आ गया है जब कि भोजन-वसनकी निस्वत जनतासे मिलों द्वारा उत्पादित सामानका व्यवस्थित ढंगसे बहिष्कार कराया जाय। जिस दृष्टिसे बिहार खादी-समितिके संचालक मंडलकी ओरसे निश्चय किया जाता है कि:

(१) बिहार खादी-समितिका कोभी भी कार्यकर्ता मिलके सूतके किसी प्रकारके कपड़े खरीदने या अस्तेमालमें हाथ न बंटावे और हरअक कार्यकर्ता अपने केन्द्रोंके आसपासकी जनताको मिलके बने कपड़ोंके बहिष्कारके लिये प्रेरित कर उनसे अणु कपड़ोंके बहिष्कारकी और अपने कपड़ोंकी निस्वत अपने पैरों पर खड़े होने यानी खादी द्वारा वस्त्र-स्वावलम्बनकी प्रतिज्ञा करावे और अन्हें वस्त्र-स्वावलम्बनमें सहयोग दे।

(२) भोजन सामग्रीमें मिलों द्वारा तैयार चावल, आटा, चीनी, तेल और जमाया तेल यानी वनस्पति तथा जिन चीजोंसे तैयार सामानका व्यवहार बिहार खादी-समितिके केन्द्रों पर कतली बन्द किया जाय, और कोभी भी कार्यकर्ता अपने केन्द्र पर रहते हुअे अपरोक्त सामग्रीका व्यवहार न करे। जैसे सामानोंकी जगह हाथकुटा चावल, चक्कीका आटा, गन्ना और ताड़-गुड़ तथा

खांडसारीकी चीनी (गुदामी चीनी), घानी-तेल तथा विशुद्ध घी और अिनसे बने सामानके अस्तेमालका आग्रह बिहार खादी-समितिके केन्द्रों पर रखा जाय। साथ ही जनतासे भी अल्लिखित बहिष्कार और व्यवहारकी प्रतिज्ञा करायी जाय।

"बिहार खादी-समितिका संचालक मंडल आम जनता, भारत सरकार, बिहार सरकार, म्युनिसिपैलिटियों, जिलाबोर्डों, स्थानीय बोर्डों तथा ग्राम पंचायतोंसे अनुरोध करता है कि वे अपरोक्त कार्यक्रमको सफल बनानेमें बिहार खादी-समितिके सहयोग करें।"

सभी लोगोंसे निवेदन है कि अपरोक्त कार्यक्रममें बिहार खादी-समितिके सहयोग करें।

मंत्री

बिहार खादी-समिति

### मध्यस्थ कताबी मंडल-बृहद् बम्बजी

गत ता० ३० जनवरीसे ता० १२ फरवरी तक बम्बजी और अपनगरोंमें पूज्य बापूजीके बलिदानके निमित्त सर्वोदय पक्ष मनाया गया था। जिसके दरमियान सर्व-सेवा-संघने यह निश्चित किया था कि हरअक कातनेवाले व्यक्तिसे अक अक गुण्डी सूतका दान पूज्य गांधीजीकी स्मृतिके निमित्त स्वीकृत किया जाय। जिस तरह करीब २३६१ गुण्डियां अंजलीके रूपमें मिली थीं। जिस पक्षके दरमियान भिन्न-भिन्न बहुतसी संस्थाओं, कताबी मंडलों और व्यक्तियोंकी ओरसे कताबी प्रवृत्तिको विस्तृत करनेका विशिष्ट प्रयास किया गया था। जिस कार्यको व्यवस्थित करनेके लिये और हरअक कातनेवाले व्यक्तिका आपसमें संपर्क बढ़े जिस अद्देश्यसे अक मध्यस्थ कताबी मंडलकी स्थापना ता० २८-३-५१ के रोज की गयी।

हरअक मुहल्लेसे कातनेवालोंकी यादी बनाकर और अणुके संपर्कमें आकर परिचय बढ़ाना, अणुकी तकलीफें और खामियां दूर करना, वस्त्र-स्वावलम्बनकी तालीम देना, गलियोंमें सम्मेलनका आयोजन करना—जिन कार्योंकी योजनाको विशेष रूपसे सफल करनेके लिये जिनको कुछ सूचना देनी हो, उनसे विनन्ति है कि पत्रव्यवहार करें।

हरअक कातनेवाला सालाना अक गुण्डी देकर मंडलका सदस्य बने।

मणिभाजी देसाजी

अ० भा० च० संघ (स्वावलम्बन केन्द्र) किसनबहन घुमटकर  
३९४, कालबादेवी रोड, बम्बजी नं० २  
मंत्री

### स्त्री-पुरुष-मर्यादा

लेखक : किशोरलाल मशरूवाला

अनु० : सोमेश्वर पुरोहित

कीमत १-१२-०

डाकखर्च ०-५-०

मधुजीवन कार्यालय, अहमदाबाद-९

विषय-सूची	पृष्ठ
शुद्ध चुनावकी रीत	दा० मू० २४१
शुद्ध व्यवहार आन्दोलन	श्रीकृष्णदास जाजू २४२
हिन्दी बनाम प्रादेशिक भाषायें	२४२
पहली आवश्यकतायें	विठ्ठलदास बोहरानी २४३
भारतकी भाषा-नीति	राजेंद्रप्रसाद २४४
नेहरू-टंडनवाद	विनोबा २४५
कांग्रेसका मसला	कि० घ० मशरूवाला २४६
श्री टंडनजीका निवेदन	२४७
टिप्पणियां :	
भूदान-यज्ञ	रामकिशन धूत २४८
बिहार खादी-समितिका निश्चय	
मध्यस्थ कताबी मंडल - बृहद् बम्बजी	मणिभाजी देसाजी २४८
किसनबहन घुमटकर	२४८